

Form LTC

[Rule 163E (6)]

06/C.M.T.-Pol-62/2015

Form of License to Establish Pollution Testing Station.

License No. 269/2016

Dated : 26-08-2016

1. A License is hereby granted to Md. Aqil, S/o Md. Hasan, At-Aqil Manzil, H.no-108/96, C/o Golghar Chowraha, PO- G.P.O, PS- Gandhi Maidan, Dist- Patna-800001 to establish a pollution testing station. The P.T.S. will be established at place/building Golghar Chowraha, PO- G.P.O, PS- Gandhi Maidan, Dist- Patna-800001. The PTS is authorized to test the following types of vehicles:-

- (a) Petrol
- (b) Diesel
- (c) Petrol Diesel both

Under Motor Vehicle Act 1988, Central Motor Vehicle Rules 1989 & Bihar Motor Vehicle Rules 1992.

2. The License will be valid from : 26-08-2016 to 25-08-2018

Date :

Seal :

Signature of Licensing Authority
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना। 26/8/16

The license is hereby renewed from to

(Signature of License Authority)

ज्ञापांक- 5180 पटना, दिनांक- 26/8/16

प्रतिलिपि : 1. मो. अकील, पिता- मो0 हसन, अकील मंजील, गृह सं0. 108/96, गोलघर चौराहा, पो.-जी.पी.ओ., थाना-गाँधी मैदान, जिला- पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी आर.टी.ए./सभी डी.टी.ओ. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. आई. टी. मैनेजर को निशान्तीय वेबसाइट पर डालने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature of License Authority)

नोट:- यह अनुज्ञप्ति पारपृष्ठ पर उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना। 26/8/16

- वार्षिक पंजी का संधारण, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र संख्या, निर्याता, मॉडल तथा निर्माण वर्ष का उल्लेख रहेगा।
- वाहनों की विशिष्टियों का उल्लेख रहेगा।
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र संख्या।
- निरीक्षण किये गये वाहन की निबंधन संख्या, निर्माता, मॉडल तथा निर्माण वर्ष का उल्लेख रहेगा।
- निरीक्षण के समय गैस/धुएँ का स्तर/कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिशत।
- निरीक्षण किये गये मोटर वाहन की निबंधन संख्या, निरीक्षण के परिणाम तथा निरीक्षण किये गये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की संख्या के संबंध में जानकारी देते हुए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अगले माह के पांच तारीख तक मासिक प्रतिवेदन देना।
- अपने केन्द्र मोटर यान निरीक्षक या परिवहन विभाग के उच्चतर अधिकारी के निरीक्षण के लिये खुला-रखना साथ ही केन्द्र द्वारा संधारित सभी उपकरण एवं अभिलेख उपलब्ध कराना।
- मोटर वाहन की किसी भी त्रुटि को दूर करना, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 115 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुपालन।
- बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन) नियमावली 2003 के नियम 163 ग के अधीन विहित फीस से अधिक प्रचारित नहीं करना।
- अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना जांच केन्द्र को अनुज्ञप्ति में उल्लिखित परिसर से न हटना।
- प्रदूषण जांच के लिए मोटर वाहन देने वाले मालिक या चालक के वाहन की जांच शीघ्र की जायेगी तथा उन्हें जांच केन्द्र का मालिक अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र शीघ्र देगा।
- प्रदूषण जांच केन्द्र का मालिक चलान को संकेत देते हुए प्रदूषण जांच केन्द्र के एक साईन बोर्ड सहज दृश्य स्थल पर लगायेगा जिसमें उसका नाम, अनुज्ञप्ति संख्या तथा स्थान का नाम उल्लिखित रहेंगे।
- प्रदूषण जांच केन्द्र का मालिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की 100 पन्नों की तीन प्रतियों में बंधी हुई पुस्तिका, प्रत्येक पर क्रम से नम्बर अंकित होगी, संधारित करेगा और प्रत्येक पुस्तिका अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होगी।
- अनुज्ञप्तिधारी को विभागीय अधिसूचना सं० 3144 दिनांक 05.08.04 एवं विभागीय परिपत्र सं० 4064 दिनांक 12.10.04 में निहित शर्तों का पालन करना होगा।
- अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में ही प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।
- प्रदूषण जांच केन्द्र में वेव-कैमरा का ही प्रयोग किया जायेगा। उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।